30/8/25

प्रार्थी (प्रार्थी) वकील उपस्थित
प्रार्थना पत्र CRC स्वीकार होने से
वादिका वाद खारिज किया जाता है।
प्रथम अनावेदक विपक्षी
को अनावेदक विपक्षी पक्षों को
नोटिस नहीं हुआ। प्रथम अनावेदक विपक्षी
के ORUCR स्वीकार होने से वादिका वाद
प्रथम अनावेदक विपक्षी को
खारिज होने से खारिज किया जाता है।
मध्यवर्ती आदेश के कारण केस
दुबारा दायर हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम